

मद 4(1)(बी)-(एक्स)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मिलने वाला मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदत्त क्षतिपूर्ति प्रणाली भी शामिल है।

10. कृपया विनियमों में प्रदत्त पारिश्रमिक प्रणाली सहित, प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक प्रदान करें।

कार्मिकों को अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के वेतनमान (आईडीए पैटर्न) के अनुसार भुगतान किया जाता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

पदों का वर्गीकरण

(कार्यपालक)	
कार्यपालक निदेशक	1,50,000-3%-3,00,000
मुख्य महाप्रबंधक	1,20,000-3%-2,80,000
वरिष्ठ महाप्रबंधक	1,20,000-3%-2,80,000
महाप्रबंधक	1,20,000-3%-2,80,000
उप महाप्रबंधक	1,00,000-3%-2,60,000
मुख्य प्रबंधक	90,000-3%-2,40,000
प्रबंधक	80,000-3%-2,20,000
उप प्रबंधक	70,000-3%-2,00,000
सहायक प्रबंधक	60,000-3%-1,80,000
अधिकारी	50,000-3%-1,60,000
उप अधिकारी	40,000-3%-1,40,000
सहायक अधिकारी	30,000-3%-1,20,000
(गैर- कार्यपालक)	
एनई (एसजी)	29,000-3%-1,19,500
एनई -11	28,000-3%-1,19,000
एनई -10	27,000-3%-1,18,500
एनई -9	26,000-3%-1,18,000
एनई -8	25,000-3%-1,17,500
एनई -7	24,000-3%-1,08,000
एनई -6	23,000-3%-1,05,000
एनई -5	22,500-3%-1,00,000
एनई -4	22,000-3%-85,000
एनई -3	21,500-3%-74,000
एनई -2	21,000-3%-72,000
एनई -1	20,500-3%-68,000

2. महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ते की दरें वर्ष में 4 बार संशोधित की जाती हैं, अर्थात् 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को।

3. मकान किराया भत्ता (एचआरए)

मकान किराया भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय है:

नगरों/कस्बों का संशोधित वर्गीकरण	एचआरए की दरें
एक्स-वर्ग (50 लाख और उससे अधिक की आबादी)	मूल वेतन का 27%
वाई-वर्ग (5 लाख से 50 लाख और उससे अधिक की आबादी)	मूल वेतन का 18%
जेड-वर्ग (5 लाख से कम की आबादी)	मूल वेतन का 9%

नोट: जब आईडीए 50% से अधिक हो जाएगा तो एचआरए की दरें क्रमशः 30%, 20% और 10% तक संशोधित की जाएंगी।

4. पट्टे पर आवास

आरईसी के अधिकारियों को स्व-पट्टे/कंपनी पट्टे पर आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। कंपनी पट्टे पर आवास की मासिक किराये की सीमा निम्नानुसार है:

ग्रेड	वेतनमान (आईडीए 2017) (रु. में)	नगरों की श्रेणी के अनुसार दरें (रुपये में)		
		एक्स (दिल्ली#, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद)	वाय / सभी भारतीय राज्यों की राजधानी नगर/कस्बें (श्रेणी एक्स के अलावा)	जेड (श्रेणी एक्स, वाय और सभी भारतीय राजधानी नगरों /कस्बों के अलावा)
ई-0	30,000-1,20,000	33,750	17,719	8,865
ई-1	40,000-1,40,000	39,375	21,263	10,631
ई-2	50,000-1,60,000	45,000	30,000	15,000
ई-3	60,000-1,80,000	50,625	33,760	16,880
ई-4	70,000-2,00,000	56,250	37,500	18,750
ई-5	80,000-2,20,000	61,875	41,260	20,630
ई-6	90,000-2,40,000	67,500	45,000	22,500
ई-7	1,00,000-2,60,000	73,125	48,760	24,380
ई-8	1,20,000-2,80,000	78,750	52,500	26,250
ई-9	1,50,000-3,00,000	84,375	56,260	28,130

फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव शामिल

मकान किराया वसूली (एचआरआर)

- i. पट्टे पर दिए गए आवास के संबंध में मकान किराया अनुपात निम्नलिखित दरों पर या वास्तविक किराये पर, जो भी कम हो, होगा:

नगरों का वर्गीकरण	एचआरआर की दरें
एक्स - वर्ग	मूल वेतन का 7.5% (बीपी)
वाई - वर्ग	मूल वेतन का 5%
जेड - वर्ग	मूल वेतन का 2.5%

निगम द्वारा खरीदे गए और कार्मिकों को आवंटित स्टाफ क्वार्टरों या फ्लैटों के पूल के लिए, एचआरआर बी.पी. का 7.5% (एक्स-श्रेणी के नगरों के लिए) / बी.पी. का 5% (वाई-श्रेणी के नगरों के लिए) / बी.पी. का 2.5% (जेड-श्रेणी के नगरों के लिए), या मानक किराया / लाइसेंस शुल्क, जो भी कम हो, होगा।

नोट:

किसी कार्मिक को आवंटित स्व-पट्टे पर लिए गए आवास के अलावा पट्टे पर दिए गए आवास को, नीचे निर्दिष्ट किसी भी घटना के घटित होने के बाद, प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिए साधारण सामान्य किराए के भुगतान पर उसके द्वारा बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि आवास कार्मिक या उसके परिवार के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिए आवश्यक हो।

क्रमांक	इवेंट	आवास को बनाए रखने की स्वीकार्य अवधि
---------	-------	-------------------------------------

1.	सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ अनिवार्य सेवानिवृत्ति	4 महीने
2.	मृत्यु	4 महीने
3.	मुख्यालय से बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरण	2 महीने
4.	कंपनी द्वारा प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किये जाने पर	छुट्टी की पूरी अवधि
5.	किसी भी प्रकार की छुट्टी जो पूर्ण रूप से मकान किराया भत्ते के भुगतान के लिए योग्य हो	छुट्टी की पूरी अवधि
6.	अध्ययन अवकाश, यदि कोई हो (ईओएल सहित)	अध्ययन अवकाश पर जाने के समय कार्मिक को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की छुट्टियों सहित 6 महीने की अवधि।
7.	चिकित्सा आधार पर छुट्टी (ईओएल सहित)	6 माह की अवधि, जिसमें विभिन्न प्रकार की छुट्टियां शामिल हैं, जो चिकित्सा अवकाश पर जाने के समय कार्मिक को मिल सकती हैं।
8.	प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्ति को उसके मूल विभाग में वापस भेजना	i. दो महीने (यदि न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए आरईसी सेवा दी गई हो) ii. एक महीने (यदि न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए आरईसी सेवा दी गई हो)

बशर्ते, हालांकि, जहां किसी कार्मिक को शैक्षणिक सत्र के बीच में स्टेशन के बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, ऊपर (3) में उल्लिखित दो महीने की अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा असाधारण मामलों में शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है यदि उसके परिवार के स्थानांतरण से उसके बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

5. सुविधाएं और भत्ते

बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों को 01.01.2017 से "कैफेटेरिया भत्ते" के सिद्धांतों पर सुविधाएं और भत्ते स्वीकार्य हैं, जो अधिकारियों को सुविधाओं और भत्तों के कैफेटेरिया के दिए गए सेट से चुनने की अनुमति देते हैं, इस शर्त के अधीन कि इन सुविधाओं और भत्तों की कुल राशि संशोधित मूल वेतन के 35% से अधिक नहीं होगी।